212

संख्या–920/XVI-2/13/ 7(5)/2013

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख संचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–2

देहरादूनः दिनांकः 19 नवम्बर, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में रेशम विभागान्तर्गत अनुदान संख्या–29, 30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजनाओं में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1691/रेशम/तक0अनु0/बजट/2013–14 दिनांक 13 नवम्बर, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि अनुदान संख्या–29, 30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष की रेशम विभागान्तर्गत केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजनाओं के लिए समग्र रूप से आय–व्ययक में प्राविधानित बजट ₹1,32,000,00.00(₹एक करोड बत्तीस लाख)के सापेक्ष ₹1,04,00,000.00 (₹एक करोड चार लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा। जैसा कि वित्त अनुभाग–1 के आदेश संख्या–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 में उल्लिखित है।

3– निर्वतन पर रखी गयी धनराशि को व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक–30 मार्च, 2013 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय– समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

7– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–8 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार बिलों के सापेक्ष किया जाये।

8– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

9– निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से उक्त सदर्भित आदेश दिनांक 30.3.2013 में उल्लिखित धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। प्रस्तावित परिव्यय को ध्यान मे रखते हुए धनराशि निर्वतन पर रखी जा रही है, यदि वार्षिक योजना पर अनुमोदन के उपरान्त परिव्यय में संशोधन होता है, तो तद्नुसार ही व्यय मान्य होगा।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29(सामान्य), 30(एस0सी0एस0पी0) एवं अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–920(1)/XVI-2/13/7(5)/2013,तददिनांक:

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0सी0शर्मा)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या– /XVI-2/13/7(5)/2013 दिनांकः नवम्बर 2013 का संलग्नक

(धनराशि ₹लाख में)

क्र0सं0	लेखाशीर्षक/योजना का नाम	वर्ष 2013–14 में प्राविधानित बजट	स्वीकृत की जाने वाली अवशेष धनराशि
	अनुदान संख्या–29 (सामान्य)		
	2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास		
1–	**0705–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजनायें** (90प्रतिशत के0पो0)		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	105	77
	अनुदान संख्या–30 (एस0सी0एस0पी0)		
	2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पानेट प्लान		
2–	**0214–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजनायें**	20	20
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता		
	अनुदान संख्या–31 (टी0एस0पी0)		
	2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत 796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–00–		
3–	**12–केन्द्र पोषित कैटेलिटिक योजना**		
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	7	7
		132	**104**

(₹एक करोड चार लाख मात्र)

(आर0सी0शर्मा)
अपर सचिव।